राजस्थान—सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां, जिला जोधपुर
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:—68 / 2011
पीठासीन अधिकारी:— रतनलाल रेगर, आर.ए.एस.

प्रार्थीगण:—
1. जोराराम पुत्र किसनाराम
2. घमण्डाराम पुत्र किसनाराम
3. खेता पुत्र किसानाराम
4. जैना पुत्र किसनाराम
5. राणीदान पुत्र किसनाराम फौत के कायम मुकाम
5/1 खेताराम पुत्र राणीदान
5/2 कालुराम पुत्र राणीदान
5/3 चम्पादेवी पत्नि राणीदान जातियान सुथार निवासीगण ग्राम तापू तहसील ओसियां जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी:—
1. कालू पुत्र हरचन्द कौम आचार्य नाऔलाद फौत
2. मालाराम पुत्र रूगाराम
3. पेमाराम पुत्र रूगाराम
4. भगाराम पुत्र रूगाराम
5. भैराराम पुत्र रूगाराम जातियान आचार्य निवासी ओवण वालों की ढ़ाणी तापू तहसील ओसियां जिला जोधपुर।
6. सरपंच, जरिये ग्राम पंचायत तापू तहसील ओसियां जिला जोधपुर।

उपस्थिति:—
1. श्री घेवरराम विश्नोई वकील प्रार्थीगण।
2. श्री बंशीलाल कच्छवाहा, वकील अप्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:: निर्णय ::—

दिनांक:—23.10.2019

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:41:04 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश [illegible] के ग्राम तापू मे खसरा नम्बर 782 रकबा 61.08 बीघा की भूमि [illegible] सुदा आई हुई है, जिसमें प्रार्थीगण की रहवासीय ढ़ाणियां [illegible] आदि बने हुए है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में आगे बताया कि रेकर्ड का अवलोकन करने से ज्ञात [illegible] कि खेत खसरा नम्बर 782 रकबा 61.08 बीघा भूमि 3/— रूपये के स्टाम्प पर बे[illegible]

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

जाकर जरिये म्यूटेशन संख्या 235 दिनांक 10.10.1974 ग्राम पचायत तापू द्वारा स्वीकृत जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम करना पाया गया तथा उसके बाद उक्त खेत खसरा म्यूटेशन संख्या 325 दिनांक 20.02.2011 को अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के नाम करना गया। उक्त भूमि के किसी हिस्से का किसी प्रकार का बेचान प्रतिवादीगण द्वारा भी भी नहीं कियागया, यदि कोई ऐसा बेचान है तो वह कुट रचित, फर्जी प्रभाव हीन कानून की दृष्टि में शून्य है।बेचान प्रार्थीगण ने कभी भी नहीं किया तथा 3/– रूपये के स्टाम्प पर करना बताया गया है जो कितने रूपये में बेचान किया गया और किसके द्वारा किया गया यह कहीं पर भी अंकित नहीं है, जो आज तक कभी भी ग्राम पंचायत पटवारी के समक्ष पेश नहीं हुआ है तथा 31 बीघा जमीन का बेचान बताया गया है उसका मूल्यांकन किस आधार पर किया गया है इसका कही भी किसी भी रेकर्ड में अंकित नहीं है बेचान अन रजिस्टर्ड है, जो 3/– रूपये के स्टाम्प पर बताया गयाहै जो विधि विधान राजस्थान टिन्नेन्सी एक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट अनुसार मान्य नहीं है तथा कानून की दृष्टि में शून्य है। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसका कोई भी विधि अनुसार बंटवाा किया हुआ नहीं है तथा न ही तरमीम की हुई है सम्पूर्ण एक चक है तथा प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त निरन्तर निर्विवाद चला आ रहा है। अनरजिस्टर्ड बेचान नामा जो कि तीन रूपये के स्टाम्प पर है ो कुटरचित प्रभावहीन कानून की दृष्टि से शून्य होने के कारण प्रार्थीगण के विरूद्ध बेअसर होकर निरस्त करने योग्य है जिसे निरस्त किया जावे तथा प्रार्थीगण को उक्त भूमि का खातेदार घोषित किया जावे। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में आगे बताया कि प्रार्थीगण ने अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि का कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 कालू को बेचान नही की तथा कालू के पक्ष में भरा गया म्यूटेशन संख्या 235 व अप्रार्थी संख्या 2 से 5 के हक में भरा गया म्यूटेशन संखा 325 जो ग्राम पंचायत तापू द्वारा भरा गया उसे निरस्त योग्य है। अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद के अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी पभी प्रकार की कोई दखल अंदाजी न तो स्वय करे व न ही अन्य से करावें तथा मौके व राजस्व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आदेशिका दिनांक 13.01.2014 अनुसार अप्रार्थीगण स्वयं असालतन या वकालतन उपस्थित नहीं आने से तीन तीन बार आवाजे लगाई गई किन्तु उनमें से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ तथा न ही किसी वकील ने वकालतनामा पेश किया अतः उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली में आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ, जो आदेशिका दिनांक 21.04.2014 अनुसार अदम पैरवी में खारिज किया गया तथा वकील अप्रार्थी ने जवाब पेश नहीं किया, अतः जवाब बंद किया गया।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित इबारत को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण ने मुतनाजा आराजी का कभी बेचान नहीं किया गया है, तीन रूपये के स्टाम्प पर लिखित फर्जी व शून्य है विधि विधान अनुसार लिखित नहीं है, जो संदेहास्पद होने से नामान्तरकरण संख्या 235 खारिज [illegible] नाम के साथ कालू पुत्र हरचंद का नाम गलत तरीके से राजस्व रेकर्ड में अ[illegible] हुआ है, कालू पुत्र हरचंद के फौत होने के बाद अप्रार्थी सं[illegible] दिया जो भी गलत होने से खारिज योग्य है, क्योंकि अप्रार्थी [illegible] 5 को यह अदेशा था कि कालू पुत्र हरचंद का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत तरीके [illegible] आया है, इसलिये इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:41:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

में से उनका नाम हटाया जा सकता है, इसलिये बाले बाले मुतनाजा आराजी ग्राम हडमानसागर तापू के खसरा नम्बर 782 में अपना नाम होने का नाजायज लाभ उठाते हुए आगे बेचान कर दिया, जो सरासर गलत है अप्रार्थीगण का नाम यदि गलत तरीके से राजस्व रेकर्ड में अंकित नहीं होता तो अप्रार्थीगण उक्त मुतनाजा आराजी का बेचान नही करते। क्योंकि अप्रार्थीगण यह जानते थे कि उनके नाम से गलत तरीके से राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया है, इसलिये कभी भी राजस्व रेकर्ड में से नाम हटाया जा सकता है। इसलिये ग्राम हडमानसागर, तापू के खसरा नम्बर 782 में अप्रार्थीगण ताफैसला मूल वाद के अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी पभी प्रकार की कोई दखल अंदाजी न तो स्वयं करे व न ही अन्य से करावें तथा मौके व राजस्व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

अतः हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर मनन किया, बहस पर मनन किया, जिस अनुसार हमारा विनिश्चिय यह है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र युक्तियुक्त आधारों पर है तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अखंडित रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा भूमि आगे बेचान किए जाने के कारण आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण दिनांक 19.05.2011 को जारी की गई है तथा मुतनाजा आराजी का जरिये बेचान नामान्तरकरण संख्या 333 दिनांक 30.05.2011 को केतागण के नाम से अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के स्थान पर बतौर खातेदार दर्ज कर दिया गया है, जो न्यायालय आदेश दिनांक 19.05.2011 की अवहेलना है। अतः 19.05.2011 को अप्रार्थीगण संख्या 2 से 5 तक का नाम ही राजस्व रेकर्ड मे होने के कारण आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किए जाने का कोई आधार नहीं होने से भी आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अखंडित होने से तथा अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं का राजस्व रेकर्ड में नाम होने के कारण मुतनाजा आराजी को मुंतकिल करने का अंदेशों को मध्य नजर रखते हुए तथा पत्रावली पर उपलब्ध वजूहातों तथा वकील प्रार्थीगण की बहस से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को बल मिलता है, तथा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने हेतु पर्याप्त कारण प्रकट होते है। अतः ग्राम हडमानसागर, तापू के खसरा नम्बर 782 में इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण को पाबंद कर जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण ताफैसला मूल वाद के प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की कोई दखल अंदाजी न तो स्वयं करे व न ही अन्य से करावें तथा मौके व राजस्व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन लाल रेगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:41:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner